न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प कोर्ट बायतु
पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 30/2016

| अपीलांटस | बनाम | रेस्पोडेंटस |
|---|---|---|
| 1. अचलाराम पुत्र गोरधनराम<br>2. कलाराम पुत्र गोरधनराम<br>जातियान सुथार निवासीयान<br>रामसर कुंआ पटवार हल्का<br>चौखला तहसील बायतु<br>जिला बाड़मेर | | 1. तहसीलदार बायतु<br>2. आसूराम पुत्र गोरधनराम<br>जाति सुथार निवासी<br>रामसर कुंआ पटवार क्षैत्र<br>चौखला तहसील बायतु<br>जिला बाड़मेर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 15.6.2015 द्वारा तहसीलदार बायतु।

उपस्थित– 1. अपीलांटस व श्री सुरेश पूनड़ अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं0 01की ओर से भू.अ.निरीक्षक उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट सं0 02 अनुपस्थित।

**आदेश** दिनांक 30.5.2018

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 02 की सह–खातेदारी आराजी भूमि खेत खसरा नंबर 430/394 रकबा 102.11 बीघा भूमि मौजा रामसर कुंआ पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु में आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 02 ने उक्त आराजी का विभाजन करने हेतु प्रस्ताव दिनांक15.6.2015 को तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक15.6.2015 पारित करवाया गया। उक्त आराजी का विभाजन अपीलांटस की बगैर सहमति से करवाये जाने के कारण उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट सं0 01 के प्रतिनिधि भू.निरीक्षक उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या 02 बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं आये।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस ने जाहिर कि हमारी सह–खातेदारी आराजी भूमि खेत खसरा नंबर 430/394 रकबा 102.11 बीघा अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 02 की मौजा रामसर कुंआ पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु में स्थित है। अपीलांटस का विवादित आराजी पर कब्जा उसके पैतृक हक–हिस्से अनुसार चला आ रहा है। पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार विभाजन नहीं होने मौके पर भौतिक स्थिति के अनुरूप विविध बंटवाड़ा नहीं होने से आचौच्य बंटवाड़ा खारिज किये जाने योग्य है। सर्वप्रथम अपीलान्टस को इस विभाजन आदेश का दिनांक 01.09.2016 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की है। पक्षकारान लोक अदालत में इस प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिये लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

4. तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामसर कुंआ के मूल खसरा नंबर 430/394 रकबा 102.11 बीघा का आपसी सहमति से विभाजन आदेश दिनांक 15.6.2015 को पारित किया गया था। जिसकी वर्तमान में मौका स्थिति की जांच करने हेतु उक्त बंटवाड़ा वर्तमान रहवासी कब्जा अनुसार नहीं होना पाया गया, जो कब्जा अनुसार दुरूस्त किये जाने एवं पूर्व में किया गया बंटवाड़ा निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

5. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस सं0 01 से प्राप्त मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2015 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 02 की सह–खातेदारी आराजी भूमि खेत खसरा नंबर 430/394 रकबा 102.11 बीघा भूमि मौजा रामसर कुंआ पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु में आई हुई। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर तहसीलदार बायतु की मौका रिपोर्ट के अनुसार बंटवाड़ा में दर्शाये अनुसार बंटवाड़ा कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 30.5.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)